न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 05/2019
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2019/00296

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) पाली		1. खीमाराम पुत्र छोगाराम सीरवी 2. भगाराम पुत्र छोगाराम सीरवी 3. लुम्बाराम पुत्र छोगाराम सीरवी 4. टीपाराम पत्नी हीराराम सीरवी 5. पुनमा पुत्र पेमा सीरवी निवासीगण– डेण्डा, तहसील पाली, जिला पाली। 6. लक्ष्मीदेवी परिहार पत्नी पिताराम घांची, निवासी– बुसी, तहसील रानी, जिला पाली। 7. ग्राम पंचायत डेण्डा। 8. सोमेश्वरदास पुत्र तुलसीदास, जाति साद, निवासी– रघुनाथ मंदिर प्रबंधक तीजा माता मंदिर सदर बाजार जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना
रेस्पो. संख्या 06 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित व रेस्पो. संख्या 08 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25.11.2024

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.06.2016 की पालना में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस प्रार्थी के ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 से अप्रार्थी संख्या 05 वक्त बहस न्यायालय में बार–बार आवाजे लगाये जाने के बावजूद वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 06 की आरे से अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित व अप्रार्थी संख्या 08 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव वक्त बहस उपस्थित आए। बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 775, 653, 654, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 824, 825, 826 659, 804, कुल रकबा 107.14 बीघा भूमि है जिसके नये खसरा संख्या 491, 477, 507, 478, 506 कृषि भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व व

Scanned with ACE Scanner

पश्चात डोली बनाम मन्दिर श्री रूगनाथजी पुजारी तुलसीदास चेला सीताराम कौम साद के नाम दर्जसुदा चली आ रही है। पेमा वल्द जुना कौम सीरवी सा. डेण्डा 2/3 खुद काश्त 1/3, तुलसीराम 1/3 दर्ज था इस प्रविष्ठी के आधार से डोली भूमि के 2/3 हिस्से में 1/3 हिस्से पर पेमा वल्द जुना कौम सीरवी निवासी डेण्डा का दर्ज होना जाहिर हो रहा है। उक्त मिसल बन्दोबस्त के दोनों खाते में खातेदार, पट्टेदार अथवा खारीददार की प्रविष्टि का अंकन नहीं है। उक्त समस्त खसरों की भूमियां डोली बनाम मन्दिर रूगनाथजी वाके देह डेण्डा की माफी होना सिद्व है। अप्रार्थी छोगा पुनमा पि. पेमा सीरवी निवासी डेण्डा द्वारा ग्राम पंचायत डेण्डा को खसरा नम्बर 491 रकबा 0.11 बीघा को दिनांक 28.01.1985 को विक्रय करने से नामान्तरकरण संख्या 1687 से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जो वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 491 रकबा 0.11 किस्म गै. मु. बेरा ग्राम पंचायत डेण्डा के खातेदारी में एवं खसरा संख्या 491/1 रकबा 0.10 बीघा भूमि किस्म गै. मु. सिवाय चक भूमि में दर्ज है। व नये खसरा संख्या 477, 778, 506, व 507 रकबा क्रमशः 41.06, 0.18,0.03 व 65.07 बीघा भूमि का खातेदार छोगा पुनमा पि. पेमा कौम सीरवी साकिन डेण्डा द्वारा अपनी भूमि मारवाड ग्रामीण शाखा डेण्डा के रहन दर्ज होते हुए बंटवारा श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय, पाली के राजस्व वाद संख्या 136/2000 निर्णय दिनांक 26.12.2000 से करवाया जिसका नामान्तरकरण 2390 स्वीकृत हुआ तत्पश्चात पुनमा पुत्र पेमा कौम सीरवी साकिन डेण्डा द्वारा दिनांक 05.10.2007 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में खसरा संख्या 477 रकबा 41.06 बीघा भूमि श्रीमती लक्ष्मी परिहार पत्नी पिताराम परिहार कौम घांची साकिन बुसी तहसील रानी के नाम नामान्तरकरण संख्या 2405 दर्ज है। ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 506 व 507 के रकबा कमशः 0.03 व 53.07 बीघा भूमि के खातेदार अप्रार्थी छोगा पुत्र पेमा कौम सीरवी की मृत्यु होने से नामान्तरकरण संख्या 2144 द्वारा छोगा पुत्र पेमा की बजाय खीमाराम, भगाराम, लुम्बाराम पि. छोगाराम टीपु पत्नी हीराराम सीता, पिंकी सुकीदेवी पुत्रियां हीराराम दर्ज किया गया उसके पश्चात सीता पिंकी सुकीदेवी पुत्रिया हीराराम द्वारा हर्कतर्क करने से नामान्तरकरण संख्या 3562 दिनांक 28.07.2016 के द्वारा इस खाते में खीमाराम, भगाराम लुम्बाराम, पि. छोगाराम श्रीमती टीपु पत्नी हीराराम कौम सीरवी सा. खातेदार दर्ज है जिसे मिसल बन्दोबस्त 2012 के अनूरूप डोली बनाम मन्दिर श्री रूगनाथजी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 व 24.05.2007 के को स्वीकार कर डोली बनाम मंदिर श्री रूगनाथजी वाके देह साकिन डेण्डा को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 06 ने सरकारी पैरोकार की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि डोली, मंदिर, मूर्ति, माफी सभी जागीर के परिभाषा में आते है जो द्वितीय अनुसूची के क्रमांक 15, 38 व 45 में स्पष्ट अंकित है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधान मंदिर की माफी भूमि पर लागू होंगे। जागीर अधिनियम 1952 की धारा 9 के अुनसार जागीर रिज्यूम के समय या अधिनियम लागू होने के समय कोई व्यक्ति राजस्व अभिलेख में खातेदार, खादिमदार, पट्टेदार या अन्य किसी रूप में अन्तर्निहित होगा वह काश्तकार कहलायेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त संवंत् 2012 से संवंत् 2031 के खाता संख्या 435 के कॉलम संख्या 03 में डोली मन्दिर दर्ज है तथा कॉलम संख्या 05 कृषक के कॉलम में कृषक के रूप में पेमा वल्द जूना सिरवी 2/3 तथा खुदकाश्त तुलसीराम 1/3 दर्ज है। इस तरह 2/3 हिस्से का कृषक पेमा दर्ज था, जो बाद में संवंत् 2019 भूमि एकीकरण में सम्पूर्ण खाते का

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

खातेदार दर्ज हुआ। अप्रार्थी संख्या 06 लक्ष्मी ने पेमा के पुत्र पूनमा से वर्तमान खसरा संख्या 477 पुराने खसरा संख्या 643 व 654 की भूमि दिनांक 05.10.2007 को पंजीबद्ध दस्तावेज से खरीद की है। पेमा का 2/3 हिस्सा दर्ज था तथा खाता संख्या 435 की कुल भूमि 108 बीघा 05 बिस्वा थी जिसमें पेमा का 2/3 हिस्सा अनुसार करीब 70 बीघा भूमि आती है। अप्रार्थी संख्या 06 ने उक्त भूमि खरीद की वह कभी भी मंदिर की खुदकाश्त नहीं रही। अप्रार्थी लक्ष्मी सद्भावी क्रेता है। अप्रार्थी का हित खाता संख्या 435 जो पूर्ण खुदकाश्त नहीं है तथा पेमा कृषक के रूप में दर्ज है, के वारिसान् से सन् 2007 में केवल 41 बीघा भूमि खरीद की है के हद तक जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 06 ने अपने समर्थन बिन्दु संख्या 08 के अनुसार विभिन्न न्यायिक नजीरे 2017 RRD 364 page no 369, 2015 RRD 370, 2015(2)RRT 868 Raj Highcourt, 2018 RRD 701, 2018 RRD 688, Dt 03-07-2024 Raj Highcourt Joga Ram Vs Board of Revenue पेश की है। अप्रार्थी लक्ष्मी ने पेमा के पुत्र पूनमा उर्फ पूना से उसके विभाजन वाद में प्राप्त हिस्से की भूमि वर्तमान खसरा संख्या 477 रकबा 41 बीघा 06 बिस्वा भूमि खरीद की है, शेष भूमि अब भी पेमा के पौत्र अप्रार्थी संख्या 01 से अप्रार्थी संख्या 05 के नाम दर्ज है। जिस बाबत् रेफरेन्स किया जा सकता है। लक्ष्मी सद्भावी क्रेता है। संवंत् 2019 से रेकर्डेड खातेदार अर्थात् वर्ष 1962 में दर्ज खातेदार से वर्ष 2007 में अर्थात् 45 वर्षों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार से विभाजन में प्राप्त भूमि को खरीद की है जबकि उक्त रेफरेन्स प्रार्थना करीब 57 वर्षों बाद अत्यधिक विलम्ब से पेश किया है जो विलम्ब के आधार पर पोषणीय नहीं है।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व मनन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि तहसीलदार द्वारा जो जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें खसरा संख्या 775 जो कि तत्समय खाता संख्या 434 में था तथा मंदिर के नाम तथा खातेदारी के कॉलम में खुद–काश्त लिखा हुआ था परन्तु वर्तमान में आराजी संख्या 775 के नये नम्बर 491 बनना बताया गया है परन्तु वर्तमान में आराजी संख्या 491 किस के नाम दर्ज है यह प्रार्थी द्वारा नहीं बताया गया है न ही उसका वर्तमान रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। जहां तक पुराने (संवंत् 2012 से संवंत् 2031 की जमाबन्दी में) खाता संख्या 435 में वर्णित आराजी संख्या 653, 654, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 824, 825, 826, 659, 804 कुल खाता 13 कुल रकबा 108 बीघा 05 बिस्वा का प्रश्न है यह भूमि मंदिर के कॉलम संख्या 03 में डोली के नाम दर्ज है परन्तु खातेदार भोक्ता के कॉलम में पेमा वल्द जूना 2/3, खुद–काश्त 1/3 व तुलसीराम 1/3 दर्ज है।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जो तथ्य लिये गये है तथा लिखित अभिकथन भी पेश किये है उसमें यह वर्णित किया गया है कि डोली, मंदिर, मूर्ति, माफी सभी जागीर के परिभाषा में आते है जो द्वितीय अनुसूची के क्रमांक 15, 38 व 45 में स्पष्ट अंकित है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधान मंदिर की माफी भूमि पर लागू होंगे। जागीर अधिनियम 1952 की धारा 9 के अुनसार जागीर रिज्यूम के समय या अधिनियम लागू होने के समय कोई व्यक्ति राजस्व अभिलेख में खातेदार, खादिमदार, पट्टेदार या अन्य किसी रूप में अन्तर्निहित होगा वह काश्तकार कहलायेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त संवंत् 2012 से संवंत् 2031 के खाता संख्या 435 के कॉलम संख्या 03 में डोली मन्दिर दर्ज है तथा कॉलम संख्या 05 कृषक के कॉलम में कृषक के रूप में पेमा वल्द जूना सिरवी 2/3 तथा खुदकाश्त तुलसीराम 1/3 दर्ज

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

है। इस तरह 2/3 हिस्से का कृषक पेमा दर्ज था, जो बाद में संवंत् 2019 भूमि एकीकरण में सम्पूर्ण खाते का खातेदार दर्ज हुआ। अप्रार्थी संख्या 06 लक्ष्मी ने पेमा के पुत्र पूनमा से वर्तमान खसरा संख्या 477 पुराने खसरा संख्या 643 व 654 की भूमि दिनांक 05.10.2007 को पंजीबद्ध दस्तावेज से खरीद की है। पेमा का 2/3 हिस्सा दर्ज था तथा खाता संख्या 435 की कुल भूमि 108 बीघा 05 बिस्वा थी जिसमें पेमा का 2/3 हिस्सा अनुसार करीब 70 बीघा भूमि आती है। अप्रार्थी संख्या 06 ने उक्त भूमि खरीद की वह कभी भी मंदिर की खुदकाश्त नहीं रही। अप्रार्थी लक्ष्मी सद्भावी क्रेता है। अप्रार्थी का हित खाता संख्या 435 जो पूर्ण खुदकाश्त नहीं है तथा पेमा कृषक के रूप में दर्ज है, के वारिसान् से सन् 2007 में केवल 41 बीघा भूमि खरीद की है के हद तक जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 06 ने अपने समर्थन बिन्दु संख्या 08 के अनुसार विभिन्न न्यायिक नजीरे 2017 RRD 364 page no 369, 2015 RRD 370, 2015(2)RRT 868 Raj Highcourt, 2018 RRD 701, 2018 RRD 688, Dt 03-07-2024 Raj Highcourt Joga Ram Vs Board of Revenue पेश की है। अप्रार्थी लक्ष्मी ने पेमा के पुत्र पूनमा उर्फ पूना से उसके विभाजन वाद में प्राप्त हिस्से की भूमि वर्तमान खसरा संख्या 477 रकबा 41 बीघा 06 बिस्वा भूमि खरीद की है, शेष भूमि अब भी पेमा के पौत्र अप्रार्थी संख्या 01 से अप्रार्थी संख्या 05 के नाम दर्ज है। जिस बाबत् रेफरेन्स किया जा सकता है। लक्ष्मी सद्भावी क्रेता है। संवंत् 2019 से रेकर्डेड खातेदार अर्थात् वर्ष 1962 में दर्ज खातेदार से वर्ष 2007 में अर्थात् 45 वर्षों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार से विभाजन में प्राप्त भूमि को खरीद की है जबकि उक्त रेफरेन्स प्रार्थना करीब 57 वर्षों बाद अत्यधिक विलम्ब से पेश किया है जो विलम्ब के आधार पर पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन व न्यायिक नजीरों से यह स्पष्ट है कि विवादित रकबा 108 बीघा भूमि में से 2/3 भूमि काश्तकार के रूप में रेकर्ड में दर्ज थी तथा शेष 1/3 भूमि ही मंदिर की खुद–काश्त थी। उक्त खुद काश्त भूमि मंदिर की खुद काश्त भूमि के लिए ही रेफरेन्स पोषणीय हो सकता है परन्तु मन्दिर की भूमि कौनसी है एवं काश्तकार की भूमि कौनसी है, इस बाबत् जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में कोई स्पष्टता नहीं है। इसी प्रकार विवादित खाता संख्या 434 की आराजी संख्या 775 बाबत् भी वर्तमान रिकॉर्ड की कोई स्पष्टता नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किये गये जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में उक्त वर्णितानुसार मंदिर की खुद–काश्त एवं काश्तकार की संयुक्त भूमियों में से सभी को मिलाकर यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो रिकॉर्ड, विधि एवं प्रचलित कानून व राजकीय निर्देशों के अनुरूप नहीं है। अतएव जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तहसीलदार पाली को प्रार्थना–पत्र में विधिवत रूप से मंदिर की खातेदारी की भूमि एवं खुद–काश्त की भूमि की विधिवत जांच कर सुसंगत रिकॉर्ड एवं राजकीय निर्देशों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ लौटाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक **25.11.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner